कार्यालय कलेक्टर (खनिज), जिला टीकमगढ़ (म0प्र0)

क्रमाक –11 /खनिज /तीन /–06/2011 /1434/ टीकमगढ़ दिनांक 1-9-2011

//आदेश//

श्री कय्यूम अली तनय श्री अजीम अली निवासी महाबीर टाकीज के पास टीकमगढ़ को नीलामी दिनांक 16.03.2011 में गौण खनिज पत्थर/ मुरूम खदान ग्राम सुजानपुरा तहसील टीकमगढ़ भूमि सर्वे नं0. 116 रकवा 1.000 हेक्टेयर की घोष विक्रय खदान उच्चतम बोलीदार होने के कारण वार्षिक ठेकाधन रूपये 51000.00 पर अवधि 01.4.2011 से 31.03.2013 .तक के लिये स्वीकृत कर स्वीकृति आदेश पत्र क्रमांक11/खनिज/तीन– 6/2011/210 दि0 18.03.2011 जारी किया गया था ,जिसमें ठेकेदार द्वारा दिनांक 08.04.2011 को अनुबंध का निष्पादन अपने पक्ष में पूर्ण कराया गया।

ठेकेदार को अनुबंध एवं स्वीकृति आदेश में उल्लेखित शर्तो का पालन न करने के कारण कार्यालयीन पत्र द्वारा दिनांक 29.07.2011 को कारण बताओं नोटिस जारी किया गया जिसका उत्तर 30 दिवस में चाहा गया था। उक्त नोटिस का संबंधित द्वारा दिनांक 05.08.2011 को जबाब प्रस्तुत किया गया संबंधित द्वारा उत्तर के साथ ही मासिक पत्रक प्रस्तुत किये गये एवं सीमा चिन्हके संबंध में भी पालन करने का लेख किया गया। संबंधित द्वारा प्रस्तुत जबाब कारण बताओं नोटिस के अनुरूप नही होने से तथा पृथमदृष्टया समाधानकारक प्रतीत नही होता है अतः श्री कय्यूम अली निवासी टीकमगढ़ को स्वीकृत नीलाम पत्थर/मुरूम खदान ग्राम सुजानपुरा तहसील टीकमगढ़ खसरा नम्बर 116 रकवा 1.000 है0 में जमा तीस प्रतिशत सुरक्षा राशि रू0 15450.00 एवं खदान में कार्य नही होने से जमा प्रथम किश्त की राशि रू0 17170.00 वापिस करते हुये उक्त खदान निरस्त की जाती है।

(कलेक्टर द्वारा आदेशित)

खनि अधिकारी
हेतु कलेक्टर, टीकमगढ़
दिनांक 1-9-11

पृ क्र0 11/खनिज/तीन– 6 /2011/ 1434

प्रतिलिपिः–

1 सचिव म0प्र0 शासन खनिज साधन विभाग मंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल।
2 संचालक भौमिकी तथ खनिकर्म 29– ए अरेराहिल्स खनिज भवन म0प्र0 भोपाल ।
3 तहसीलदार टीकमगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अवैध रूप से खनिज परिवहन होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाना सुनिश्चित करें।
4 थाना प्रभारी टीकमगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5 संबंधी ठेकेदार श्री कय्यूम अली तनय श्री अजीम अली निवासी महावीर टाकीज के पास टीकमगढ़ को निर्देशित किया जाता है, कि आप स्वीकृत खदान पर खनन बंद कर कब्जा तत्काल प्राधिकृत अधिकारी को सौंपें।
6 खनिज निरीक्षक टीकमगढ़ की ओर प्रेषित संबंधी खदान का कब्जा प्राप्तकर एवं करनिर्धारण किया जाकर 07 दिवस में प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।

खनि अधिकारी
हेतु कलेक्टर, टीकमगढ़